

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दोसा)

अजयपुर मण्डल के लिये

सरकार बनाम राम सिंह वर्मा सह

करम मुकदमा खापी निवेदाणा मु० नं० 37 / 19

(188 RTA)

प्र हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
----------	-----------------------------------	---

के नाम राजस रिकार्ड में दर्ज हैं
 अतः वादी अपनी खातेदारी भूमि वास्तु
 खापी निवेदाणा पाने का अधिकारी हैं
 वाद वादी स्वीकार किया जाकर पार्ट सं.
 1 तय की खापी निवेदाणा सं पाकंड
 किया जाता है कि वे ग्राम भोजपुर पठहो
 मैलाई त. सिकराय के ख. नं. 1343 रकबा
 28 हे. भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग पाकिरण
 ठाका किये जाने वाले निर्माण में कोई
 बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा पश्चात
 भूमि के उपयोग उपयोग में रखलदांकी
 नहीं करे।
 पार्टी तहसीलदार की उपस्थिति में आवश्यक
 पुलिस बल के सहयोग से निर्माण पर
 करने के लिये स्वतंत्र हैं।
 निर्णय आज दि. 19.1.21 को खुले
 न्यायालय में सुनाया गया।

du
 उपखण्ड अधिकारी 021
 सिकराय जिला-दोसा

